संख्या-6/बी3-104/2018 श्र0सं0- 6048

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक

सुजीत कुमार राय
संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन नई दिल्ली।

पटना, दिनांक- 10.8.18

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उप शीर्ष-0001-प्रवासी मजदूरों का कल्याण (विपत्र कोड 26-2230011140001) के अन्तर्गत **CFMS Software** ***से निर्गत किये गये*** **CFMS Order No.- 4575 dated- 10-08-18** ***के संबंध में।***

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरूद्ध आवंटन CFMS Software से किया जा रहा है। CFMS Software में Text Entry की व्यवस्था नही रहने के कारण CFMS Software से निर्गत किये गये **CFMS Order No.- 4575 dated- 10-08-18** जो, उप शीर्ष-0001-प्रवासी मजदूरों का कल्याण (विपत्र कोड 26- 2230011140001) से संबंधित है, में निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

1. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि० दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।
2. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
3. ***आपने अपने पत्रांक-533 दिनांक-6.7.18 में उल्लेख किया है कि संविदा पर नियोजित लेखा लिपिक के मोवाईल रिचार्ज हेतु ₹ 1000/- का भुगतान दूरभाष मद में आपके द्वारा किया जाता है, परन्तु संविदा पर नियोजित लेखा लिपिक को संलग्न किसी भी दस्तावेज में मोवाईल रिचार्ज हेतु ₹ 1000/- का भुगतान से संबंधित आदेश प्राप्त नहीं है अतः दूरभाष मद में आवंटित की गयी राशि से उनको भुगतान नहीं किया जाय।***
4. आवंटित राशि से संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी के वेतन विपत्रों एवं अन्य सभी प्रकार की विपत्रों की जॉच नियमानुसार करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।
5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ इस विभाग को विहित प्रपत्र में निकासी के अगले माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
6. यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से संबंधित है।

अनुलग्नक:- संविदा पर नियोजित लेखा लिपिक से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज।

10/8

(सुजीत कुमार राय)
संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक-*6/बी3-104/2018* श्र0सं0- 6048 पटना, दिनांक- 10-8-18

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुजीत कुमार राय)
संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार ।